रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 21, 1987/माघ 1, 1908
No. 26] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 21, 1987/MAGHA 1, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1987

अधिसूचना

सं. 18/87–सीमाशुल्क

का. आ. 27 (अ):– केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 7 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में पोर्टब्लेयर को काष्ठ और काष्ठ आधारित उत्पादों की उतराई के लिए सीमाशुल्क पत्तन नियुक्त करती है।

[फा. सं. 574/3/86–एल सी–III]

एम. मायकल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 21st January, 1987

NOTIFICATION

NO. 18|87-CUSTOMS

S.O. 27(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby appoints Port Blair in the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands to be a Customs port for the unloading of timber and wood based products.

[F. No. 574|3|86-L.C.II]

M. MICHAEL, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987